न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ जिला–प्रतापगढ़ (राज.)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ राज.
बइजलास – श्री राजेश कुमार नायक R.A.S.

1 श्री गोरधन पिता नानुराम जाति–मीणा
2 श्रीमति रेखा पत्नि गोरधनलाल जाति–मीणा
निवासी सखथल तहसील– पिपलखुंट जिला–प्रतापगढ़
3 श्रीमति लीला पत्नि चन्दुलाल जाति–मीणा
. निवासी– प्रतापगढ़

........प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमति रामकन्या पत्नि कैलाश जाति– मीणा
   निवासी रूघनाथपुरा तहसील/जिला– प्रतापगढ़
2. श्रीमान तहसीलदार साहब, प्रतापगढ़

........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा बाबत 251 ए रा.टी.एक्ट 1955 के तहत

प्रकरण संख्याः– 87/2023
निर्णय दिनांक :– 06/08/2024

–:निर्णयः–

संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी कें स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी ग्राम अमलावद प0ह0 अमलावद तहसील व जिला प्रतापगढ़ में प्रार्थी संख्या 1 के खाते कि आराजी संख्या 2771/1890 रकबा 00.34 हैक्टेयर तथा प्रार्थी संख्या 2 के खाते कि आराजी संख्या 2772/1890 रकबा 0.34 हक्टैयर एवं प्रार्थी संख्या 3 के खाते कि आराजी संख्या 2773/1890 रकबा 0.52 हैक्टेयर स्थित है उक्त तिनो आराजीयात पास पास होकर उक्त आराजीयात के आगे आराजी संख्या 1879 रकबा 0.95 हैक्टेयर स्थित है जो विपक्षी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

यह कि प्रार्थी की उक्त आराजीयात पर आने जाने के लिए एक मात्र रास्ता आराजी संख्या 1879 में होकर स्थित है इसके अलावा प्रार्थीगण के आराजीयात में आने जाने के लिए मौके पर कोइ रास्ता नही है।

यह कि विपक्षी संख्या 1 के आराजी के मध्य से राष्ट्रिय राजमार्ग बायपास का रास्ता निकला है ,उक्त रास्ते के दोनो तरफ विपक्षी कि भुमि स्थित है।

यह कि विपक्षी संख्या 1 ने प्रार्थीगण के उक्त रास्ते कि भूमि को अवरूद्व कर दिया है तथा प्रार्थीगण को उक्त भूमि से आवागमन करने से रोक दिया है ।

यह कि प्रार्थी के अपनी आराजी मे आने जाने का जो रास्ता स्थित था वह रेवेन्यु रिकार्ड मे बतौर रास्ता दर्ज नही होने के कारण राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सम्मन जारी किया गया। विपक्षी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया, तहसीलदार प्रतापगढ़ कि ओर से मौका रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध समस्त राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया तथा रिपोर्ट तहसीलदार, प्रतापगढ दिनांक 20/09/2022 अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा अमलावद प0ह0 अमलावद तहसील व जिला प्रतापगढ में प्रार्थी संख्या 1 के खाते कि आराजी संख्या 2771/1890 रकबा 00.34 हैक्टेयर तथा प्रार्थी संख्या 2 के खाते कि आराजी संख्या 2772/1890 रकबा 0.34 हक्टैयर एवं प्रार्थी संख्या 3 के खाते कि आराजी संख्या 2773/1890 रकबा 0.52 हैक्टेयर स्थित है उक्त आराजीयात पर पहूँच मार्ग हेतु मौजा अमलावद प0ह0 अमलावद की आराजी संख्या 1879 रकबा 0.95 हैक्टेयर में से 0.03 हैक्टेयर में प्रार्थीगण को अपनी आराजीयात पर पहूँचने हेतु 0.03 हैक्टेयर भूमि की पहूँच मार्ग हेतु आवश्यकता है। जो प्रार्थी को दिया जाना उचित है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) के प्रावधानों अनुसार किसी खातेदार की जोत पर पहुचने के लिए मार्ग नही होने की स्थिति में नविन रास्ता दिया जाता है उक्त प्रकरण में यदि प्रार्थी को रास्ते भुमि उपलब्ध नहीं कराई गयी तो उसकी खातेदारी की आराजीयात का उपयोग उपभोग नही कर पायेगा जिससे उसे भारी आर्थिक क्षति होना संभावित है। उक्त तथ्यों को मद्वेनजर रखते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता देना न्यायोचित है।

Scanned with CamScanner

अतः प्रस्तुत दस्तावेजात एवं साक्ष्य के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा अमलावद प0ह0 अमलावद तहसील व जिला प्रतापगढ में प्रार्थी संख्या 1 के खाते कि आराजी संख्या 2771/1890 रकबा 00.34 हैक्टेयर तथा प्रार्थी संख्या 2 के खाते कि आराजी संख्या 2772/1890 रकबा 0.34 हक्टैयर एवं प्रार्थी संख्या 3के खाते कि आराजी संख्या 2773/1890 रकबा 0.52 हैक्टेयर स्थित है उक्त आराजीयात पर पहूँच मार्ग हेतु मौजा अमलावद प0ह0 अमलावद की आराजी संख्या 1879 रकबा 0.95 हैक्टेयर में से 0.03 हैक्टेयर में प्रार्थीगण को अपनी आराजीयात पर पहूँचने हेतु 0.03 हैक्टेयर का रास्ता कायम किया जाता है। तहसीलदार प्रतापगढ़ को आदेशित किया जाता है प्रार्थी से डी0एल0सी0 दर से उक्त क्षेत्रफल की राशि नियमानुसार 261024 रूपये बनती है जो कि प्रार्थी से वसूल की जाकर जरिये चालान जमा कराकर रेकार्ड में बिलानाम रास्ता दर्ज किया जावें। इसी अनुसार नक्शें में तरमीम हो।

यह निर्णय आज दिनांक 06/08/2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(राजेश कुमार नायक)
उपखण्ड अधिकारी,
प्रतापगढ

उपखण्ड अधिकारी
प्रतापगढ